प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री एस. आर. नायक, मुख्य न्यायाधीश

रिट याचिका क्र.1187/2005

याचिकाकर्ता : 1. सलीम थोभानी, आयु लगभग 36 वर्ष, पिता श्री शहाबुद्दीन थोभानी, साझेदार, मेसर्स थोभानी ऑटोमोबाइल, मनेन्द्रगढ़, निवासी–ए/2 फरिश्ता अपार्टमेंट, बायरन बाजार, रायपुर, जिला रायपुर (छत्तीसगढ़)

2. मनोहर लाल पुरोहित, आयु लगभग 73 वर्ष, पिता केएल पुरोहित, प्रबंधक, मेसर्स थोभानी ऑटोमोबाइल, मनेन्द्रगढ़, निवासी–वार्ड क्र. 1, सिविल लाइन्स, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छ०ग०)

3. संजीव कुमार पुरोहित, आयु लगभग 25 वर्ष, पिता श्री एम. एल. पुरोहित, सहायक प्रबंधक, मेसर्स थोभानी ऑटोमोबाइल, मनेन्द्रगढ़, निवासी– वार्ड क्र. 1, सिविल लाइन्स, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया(छ०ग०)

4. एसएन झा, आयु लगभग 63 वर्ष, पिता श्री झा, स्वामी, मेसर्स बालाजी रोड कैरियर्स, तारबहार, बिलासपुर, तहसील और जिला बिलासपुर(छ०ग०)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

उत्तरवादीगण : 1) छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग, डी. के. एस. भवन मंत्रालय, रायपुर, छत्तीसगढ़।

2) कलेक्टर (खाद्य), जिला कोरिया, छत्तीसगढ़।

3) खाद्य निरीक्षक, मनेन्द्रगढ़, जिला कोरिया (छत्तीसगढ़)

उपस्थिति: : याचिककर्तागण के लिए श्री मनिंद्र श्रीवास्तव, वरिष्ठ अधिवक्ता, सहित श्री वीआर तिवारी, अधिवक्ता।

: उत्तरवादीगण/राज्य के लिए श्री यशवंत सिंह, शासकीय अधिवक्ता।

मौखिक आदेश

(दिनांक 21 मार्च, 2006 को पारित)

यह रिट याचिका कलेक्टर (खाद्य), जिला कोरिया, जो छत्तीसगढ़ केरोसिन डीलर्स लाइसेंसिंग ऑर्डर, 1979 (संक्षेप में "लाइसेंसिंग ऑर्डर") के तहत द्वितीय उत्तरवादी हैं, द्वारा शुरू की गई कार्यवाही से उद्भूत हुई है, जिसमें पंजीकरण क्र. सीजी–10 ए/4723 वाले टैंकर और उसमें पाए गए 12 किलोलीटर मिट्टी के तेल को जब्त किया गया है।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैंः खाद्य निरीक्षक, मनेन्द्रगढ़ ने दिनांक 23–8–2004 को मेसर्स थोभानी ऑटोमोबाइल्स, केरोसीन थोक विक्रेता, हाई स्कूल रोड, मनेन्द्रगढ़ से पूछताछ करने के बाद दिनांक 6–4–2004 को कलेक्टर, कोरिया को एक जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत की। उक्त प्रतिवेदन में कथित है कि दिनांक 25–3–2004 को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी, बिलासपुर के डिपो प्रबंधक ने दो टैंकरों, जिसमें से एक पर कोरिया जिले के लिए पंजीकरण क्र. सीजी–10 जेडबी/1013 और दूसरे पर सरगुजा जिले के लिए पंजीकरण क्र. सीजी–10 ए/4723 अंकित था, में 12–12 किलोलीटर मिट्टी का तेल जारी किया था। वे दोनों टैंकर, जो पूरी तरह से भरे हुए थे, फर्म थोभानी ऑटोमोबाइल, मनेन्द्रगढ़ के सामने खड़े पाए गए थे। टैंकर क्रमांक सीजी–10 ए/4723, यद्यपि सरगुजा जिले का था, परंतु कोरिया जिले में पाया गया था।इस परिस्थिति में, टैंकर क्रमांक सीजी–10 ए/4723, जिसमें 12 किलोलीटर केरोसीन था, को दिनांक 28–3–2005 को जब्त कर लिया गया तथा दिनांक 30–3–2004 को उसे पुलिस थाना, मनेन्द्रगढ़ को अभिरक्षा हेतु भेज दिया गया। कार्यालय जिला कलेक्टर, खाद्य शाखा, कोरिया ने डिपो प्रबंधक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी, बिलासपुर द्वारा लिखे गए पत्र दिनांक 31–3–2004 के परिप्रेक्ष्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

में, मार्च 2004 तक सरगुजा और कोरिया जिलों के लिए भेजे गए केरोसिन के संबंध में याचिकाकर्ताओं से टैंकरवार और तिथिवार जानकारी मांगी। याचिकाकर्ता फर्म के डिपो मैनेजर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 25–3–2004 को कोरिया जिले के लिए टैंकर क्रमांक सीजी–10 जेडबी/1013 और सरगुजा जिले के लिए टैंकर क्रमांक सीजी–10 ए/4723 में 12 किलोलीटर केरोसीन जारी किया गया था। खाद्य निरीक्षक के प्रतिवेदन और याचिकाकर्ता फर्म के प्रबंधक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर, द्वितीय उत्तरवादी ने आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6–ख के तहत याचिकाकर्ताओं को दिनांक 27–4–2004 को इस संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किया कि दिनांक 5–5–2004 को या उससे पहले नियंत्रण आदेश के उल्लंघन के लिए टैंकर और उसमें पाए गए केरोसिन को क्यों न जब्त कर लिया जाए। वाहन क्रमांक सीजी–10 ए/4723 के स्वामी मेसर्स बालाजी रोड कैरियर्स, तारबाहर, बिलासपुर को भी किरोसिन (उपयोग निबंधन और अधिकतम कीमत नियतन) आदेश, 1993 (संक्षेप में केरोसिन नियंत्रण आदेश) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। याचिकाकर्ता क्र. 1, अर्थात सलीम थोभानी, याचिकाकर्ता क्र. 2, मनोहर लाल पुरोहित और याचिकाकर्ता क्र. 4, एस.एन.झा, वाहन के मालिक ने दिनांक 12–5–2004 को अपने लिखित जवाबदावा प्रस्तुत किया। तथापि, याचिकाकर्ता क्र. 3, संजीव कुमार पुरोहित ने कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. याचिकाकर्ता क्रमांक 1 और 2 द्वारा कारण बताओ नोटिस के जवाब में कथन किया गया है कि दिनांक 25–3–2004 को वाहन क्रमांक सीजी–10 ए/4271 और वाहन क्रमांक सीजी–10 ए/4723 में केरोसिन भरा गया था और उसे सरगुजा और कोरिया में खाली करने का निर्देश दिया गया था। यह भी कथन किया गया है कि यह दिखाने

के लिए एक प्रमाण है कि कोरिया के लिए टैंकर, जिसे गलत तरीके से सरगुजा भेजा गया था, ने सरगुजा में उचित मूल्य की दुकानों पर सामान पहुंचाया था।

4. दूसरे उत्तरवादी–कलेक्टर (खाद्य) ने , तथापि , याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 की विशिष्ट दलीलों का उल्लेख किए बिना , जैसा कि कारण बताओ नोटिस के उनके उत्तरों में दिया गया है , याचिकाकर्ताओं द्वारा सरगुजा के लिए टैंकर को कोरिया भेजने में तकनीकी उल्लंघन पाते हुए , अपने आदेश दिनांक 28–5–2004 द्वारा पंजीकरण संख्या सीजी–10 ए/4723 वाले टैंकर और उसमें मौजूद केरोसिन को जब्त करने और याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई सुरक्षा जमा राशि,जो विभाग के पास जमा थी, को भी जब्त करने का आदेश पारित किया। इसी आदेश द्वारा याचिकाकर्ता संख्या 1 का डीलरशिप लाइसेंस भी रद्द कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. याचिकाकर्ताओं ने द्वितीय उत्तरवादी के उपरोक्त आदेश से व्यथित होकर राज्य सरकार के समक्ष अपील संख्या एफ 6.15/खाद्य/04/29 प्रस्तुत की। शासन ने भी जिला कोरिया के कलेक्टर (खाद्य) द्वारा जारी कारण दर्शाओ नोटिस के जवाब में याचिकाकर्ता क्र. 1 और 2 द्वारा दिए गए अभिवचनों और स्पष्टीकरण पर विचार किए बिना अपील को संक्षेप में रद्द कर दिया। इसलिए, पीड़ित व्यक्तियों द्वारा यह रिट याचिका प्रस्तुत की गई है।

6. मैंने पक्षकारों की विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को सुना है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव ने तर्क व्यक्त किया कि कलेक्टर (खाद्य) और शासन द्वारा पारित आक्षेपित आदेश विधिक दृष्टि में मान्य नहीं रह सकते, यदि किसी कारण से नहीं तो इस कारण से कि कलेक्टर (खाद्य) द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के उत्तर में याचिकाकर्ताओं संख्या 1, 2 और 4 के

कथन/स्पष्टीकरण का उल्लेख करने या उन पर विचार करने में दोनों प्राधिकारी पूरी तरह से विफल रहे हैं। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव ने इस बात पर प्रकाश डाला कि तकनीकी उल्लंघन के लिए टैंकर और उसमें पाए गए सामान को जब्त करने की कठोर कार्रवाई का सहारा लेने का कोई औचित्य नहीं था, विशेष रूप से, जब यह दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने सामान को किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया जिसके लिए सामान नहीं था, और दूसरी ओर, श्री मनीन्द्र श्रीवास्तव के अनुसार, अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से पता चलता है कि कोरिया जिले के लिए टैंकर को, यद्यपि सरगुजा जिले में जाने के लिए मोड़ दिया गया था, सामान को तुरंत सरगुजा में उचित मूल्य की दुकानों तक पहुंचा दिया गया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, किसी भी कोण से देखने पर, टैंकरों के मार्ग परिवर्तन के कारण लोक न्याय को कोई हानि नहीं हुई है तथा दोनों टैंकरों में परिवहन किया गया माल इच्छित लाभार्थियों तक पहुंच गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. याचिकाकर्ता संख्या 1, 2 और 4 के उपरोक्त संस्करण पर मुझे कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है और इसका मूल्यांकन करना वैधानिक प्राधिकारियों का काम है। यह कहना पर्याप्त है कि कलेक्टर (खाद्य) और राज्य सरकार याचिकाकर्ता क्र. 1, 2 और 4 के उपरोक्त संस्करण की उपेक्षा करने में न्यायानुमत नहीं हैं, जो कि कारण बताओं नोटिस के उनके जवाबदावा में दिया गया है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यदि आवश्यक जांच और सत्यापन के बाद यह कथन सही पाया जाता है तो याचिकाकर्ताओं की ओर से किया गया उल्लंघन पूरी तरह से तकनीकी उल्लंघन होगा और इस उल्लंघन के लिए वाहन और उसमें रखे सामान को जब्त करने और सुरक्षा जमा राशि जब्त करने जैसी कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी। दूसरी ओर,

याचिकाकर्ता क्र. 1, 2 और 4 के उत्तरों में दिए गए कथन प्रमाणित नहीं होते हैं, अतः यह वैधानिक प्राधिकारियों का काम है कि वे प्रकरण के अन्य सभी प्रासंगिक और संबंधित तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करें तथा उचित आदेश पारित करें। मेरा मानना है कि कलेक्टर (खाद्य) और राज्य सरकार दोनों ने इस प्रकरण में अपेक्षित रीती से कार्यवाही नहीं की।इसलिए, मुझे लगता है कि न्याय प्रदान करने के लिए कलेक्टर (खाद्य), जिला कोरिया को प्रकरण के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और उनके पास उपलब्ध अन्य साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए और यदि आवश्यक हो तो आगे की जांच करने के बाद कार्यवाही का नए सिरे से निराकरण करने का निर्देश दिया जाये।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. परिणामस्वरूप तथा पूर्वोक्त कारणों से, मैं रिट याचिका स्वीकार करता हूँ तथा कलेक्टर (खाद्य), जिला कोरिया द्वारा दिनांक 28–5–2004 को तथा राज्य सरकार द्वारा दिनांक 4–2–2005 को पारित आदेशों को रद्द करता हूँ तथा कार्यवाही को कलेक्टर (खाद्य), द्वितीय उत्तरवादी को इस निर्देश के साथ वापस भेजता हूँ कि वे याचिकाकर्ताओं को अपना पक्ष रखने का उचित अवसर देने के पश्चात् तथा मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को ध्यान में रखने के पश्चात् तथा इस आदेश के आलोक में, यथाशीघ्र, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से किसी भी परिस्थिति में चार माह की अवधि के भीतर, कार्यवाही का नए सिरे से निराकरण करें। प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, पक्षकार इस रिट याचिका में अपना अपना वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।

सही/-
मुख्य न्यायाधीश

गोपाल

= = = = 0000= = = =

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur